

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक: एफ 40(25)ग्रावि/नरेगा/एनजीओ/2010

जयपुर, दिनांक: 10-6-11

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

10 JUN 2011

विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा करवाये जाने वाले अनुमत कार्यों में कन्टीजेंसी के उपयोग बाबत निर्देश।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाईडलाईन/एनजीओ/2010 दिनांक 13.04.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत गतिविधियों हेतु कार्यकारी एजेन्सी बनाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे। कतिपय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा यह मांग की जा रही है कि कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक मद से व्यय करने हेतु राशि का प्रावधान किया जावे।

इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 13.04.2010 के बिन्दु संख्या 10.2.4 अनुसार अशासकीय संगठन को प्रशासनिक व्यय ओवरहेड चार्ज देय नहीं होंगे।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत लाईन विभाग द्वारा कार्य करवाने के संबंध में जारी विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 23.04.2010 के बिन्दु संख्या-7 पर यह उल्लेख है कि लाईन विभागों को निर्माण हेतु कोई ओवर हैड चार्ज देय नहीं होगा, परन्तु लाईन विभाग द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के तकमीनों में अधिकतम 2 प्रतिशत कन्टीजेंसी अथवा वास्तविक व्यय में से, जो भी कम हो, तकमीने में सम्मिलित किया जाकर तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अंग बनाया जावे।

अतः स्वयं सेवी संस्थाओं से महात्मा गांधी नरेगा योजना में निर्माण कार्य करवाये जाने पर लाईन विभाग के अनुसार कार्यों के तकमीनों पर अधिकतम 2 प्रतिशत कन्टीजेंसी अथवा वास्तविक व्यय में से जो भी कम हो तकमीने में सम्मिलित किया जाकर तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अंग बनाये जाने की अनुमति दी जाती है।


तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 32 के उप बिन्दु 7 अनुसार उक्त कन्टीजेंसी व्यय सामग्री मद से निम्न शर्तों की पूर्ति उपरांत किया जायेगा :-

- (i) कन्टीजेंसी व्यय तकमीने का भाग होगा।
- (ii) कन्टीजेंसी में किया जाने वाला व्यय/क्रय वित्तीय नियमों की नियमानुसार पालना करते हुए किया जावेगा।
- (iii) कन्टीजेंसी में व्यय राशि के बिलों का पृथक से रजिस्टर संधारित करना होगा। इसमें कार्यवार व्यय बिलों का विवरण होगा। उक्त रजिस्टर निरीक्षण पर जाने वाले विभागीय अधिकारियों तथा ऑडिट के मांगने पर प्रस्तुत किया जावेगा।
- (iv) कन्टीजेंसी पर व्यय राशि के बिलों का भुगतान करने के तत्काल बाद एम आई एस पर फीडिंग कराने का दायित्व संबंधित एनजीओ का होगा।

तकमीने में ली जाने वाली उक्त कन्टीजेंसी में निम्न कार्य अनुमत है :-

- (i) Survey, design, drawing and estimate preparation.
- (ii) Preparation of tender documents and NIT publication charges
- (iii) Hire charges of vehicle and POL for inspection of works.
- (iv) Photography, videography and documentation.
- (v) Consumable items related to quality control and plantation maintenance.

भवदीय,



(रामनिवास मेहता)

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस समस्त।
5. रक्षित पत्रावली।



परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस